

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2986]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938

No. 2986]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 2016

**का.आ. 4092(अ).**—जबकि मेसर्स एयर इंडिया विमान AIC 154 (वियना से दिल्ली) एवं मैसर्स एयर इंडिया विमान AIC142 (पेरिस से दिल्ली) दिनांक 10.11.2016 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली एसीसी में गंभीर घटना के शिकार हो गए।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस गंभीर घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गंभीर घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना जांच) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गंभीर घटना की औपचारिक जांच किए जाने का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डॉ. जितेंद्र लौरा, सहायक निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

- (i) श्री के. रामचंद्रन, विमान सुरक्षा अधिकारी, एएआईबी अध्यक्ष के रूप में  
समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।  
समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।  
समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[फा. सं. एवी-15013/12/2016-डीजी]

बी. एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2016

**S.O. 4092(E).**—Whereas M/s Air India flight AIC 154 (Vienna to Delhi) (Reg. VT-AND) and M/s Air India flight AIC 142 (Paris to Delhi) (Reg. VT-ANI) were involved in a serious incident Delhi ACC at IGI Airport, on 10.11.2016.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the serious incident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Dr. Jitendra Loura, Assistant Director, AAIB with following member:

- (i) Sh. K Ramachandran, Air Safety Officer, AAIB as member

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

[F. No. AV-15013/12/2016-DG]

B. S. BHULLAR, Addl. Secy.